

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पचपहाड़

बनाम

हरिसिंह आ0 उदा जाति गुर्जर नि0 सूलिया तहसील पचपहाड़ वगै0 3 कस

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

21/18 प्रकरण तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का पत्र क्रमांक राम/4-63/न्याय/स्था0/05/636-689 दिनांक 06.01.2010 की पालना में पूर्व राजस्व रेकार्ड में दर्ज पूजन माफी मन्दिर की भूमि को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पुजारी के नाम दर्ज किये जाने के कारण उक्त अंकन को निरस्त करने हेतु प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 221 के तहत प्रस्तुत किये गये हैं। उनके द्वारा अंकन किया गया है कि ग्राम खेताखेडा तहसील पचपहाड़ की आराजी खाता न0 38 खसरा न0 189 कुल किता 1 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा भूमि पूर्व राजस्व रेकार्ड अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2011-2014 में माफी पूजन देवनारायण श्री कालू आ0 देवा के नाम दर्ज थी। लेकिन सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज थी। जिसे पुजारी के नाम खातेदारी में गलत दर्ज की गई है जो निरस्त योग्य है। पूर्ववत माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। माफी मन्दिर से सम्बन्धित प्रकरणों हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने पत्रांक /राम/न्याय/स्था/32/2007 9803-36 दिनांक 03.09.2015 से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहत्तर पीठ द्वारा दिनांक 15.07.2015 को पारित निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहत्तर पीठ द्वारा जागीर के तहत मंदिर मूर्ति के नाम धारित भूमि के संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं को एक साथ Club करते हुए विधिक प्रश्नों का समाधान किया गया है की प्रति भिजवाई गई है, इसी तरह देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प 7(6)देव/2017 दिनांक 10.01.2018 में भी मन्दिर माफी की भूमि के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपील या रेफरेन्स के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या की गई है साथ ही राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा अपने प0क:-3(2)राज-6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 को जारी परिपत्र से मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबन्ध में अनावश्यक मुकदमें बाजी रोकने के लिये विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा मात्र रेफरेन्स प्रस्तुत करने की औपचारिकता पूर्ण की जाकर इतिश्री होना मान लिया गया है उनके द्वारा प्रकरण ना तो परोकार सरकार के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हैं और ना ही माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 9803-36 दिनांक 03.09.2015 व देवस्थान विभाग के परिपत्र क्रमांक प 7(6)देव/2017 दिनांक 10.01.2018 व राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा अपने प0क:-3(2)राज-6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 को जारी परिपत्र का अवलोकन ही किया है, प्रकरण में रेस्प0 का सही पता, अगर किसी व्यक्ति द्वारा आराजी का कय किया गया है या पक्षकार फोट हो गया है तो क्रेता को पक्षकार बनाने या मृतक के कायम मुकामान को पक्षकार बनाने तक की कार्यवाही नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अपूर्ण प्रस्तुत किये जाने के कारण रेफरेन्स कार्यवाही ड्राप की जाती है व तहसीलदार पचपहाड़ को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने पत्रांक राम/न्याय/स्था/32/2007 9803-36 दिनांक 03.09.2015 से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहत्तर पीठ द्वारा दिनांक 15.07.2015 को पारित निर्णय की प्रति व देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 10.01.2018 को जारी परिपत्र व राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा अपने प0क:-3(2)राज-6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 को जारी परिपत्र के आलोक में प्रकरणों का परीक्षण करें व मंदिर माफी की भूमि के तहत रेफरेन्स योग्य प्रकरण पाया जावे तो विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अपनाकर अपने पक्ष के समर्थन में पूर्ण दस्तावेज संलग्न करते हुए सक्षम न्यायालय में परोकार सरकार के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें।

4/11/18
जिला कलेक्टर